अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

22/2021/बाज० बनवारी V/s रमेश वगै०

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/22 R-3, 4, 6 प्रति श्री पी०एस०भाटी एकतरफा/फिरती-1 4A-2 श्री दिनेश कुमार/प्रदीपविश्नोई - 8	

19/9/22

बनवारी बनाम रमेशचन्द 2021/22

प्रार्थना–पत्र वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 7 सी0पी0सी0 पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 15.09.2022 को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाबत कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता की तबीयत अचानक खराब हो गयी और दिनांक 13.12.2020 को अपीलार्थी/ प्रार्थी के अधिवक्ता की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटीव आ गई जिससे प्रार्थी के अधिवक्ता को इतनी कमजोरी हो गयी की वह दिनांक 06.01.2021 तक न्यायालय में उपस्थित होने में समर्थ नहीं थे इसलिए दिनांक 17.12.2020, 31.12.2020 एवं 06.01.2021 को प्रार्थी के अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी के अधिवक्ता इस दौरान तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित नहीं कर पाये इसलिए अपीलार्थी/प्रार्थी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और दिनांक 06.01.2021 को अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी अंदम पैरवी में खारिज कर दिया जिसको अपास्त किया जाना उचित एवं आवश्यक है। उक्त अपील अचल सम्पति से संबधित है जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी का हित निहित है इसलिए यदि अपीलार्थी की अपील बाबत जो आदेश दिनांक 06.01.2021 को पारित कर अपीलार्थी की अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया को यदि अपास्त नहीं किया तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर आदेश दिनांक 06.01.2021 को अपास्त किया जावें एवं अपील को रेस्टोर किया जाकर अपीलार्थी को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 व 05 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट एवं उनके अभिभाषक दोनो ही दिनांक 06.01.2022 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में विधि सम्मत खारिज किया है तथा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने बाबत् कोइ सद्भाविक कारण अंकित नहीं किये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते है, इसलिए न्यायहित में 200/–रूपये दो सौ कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है। कोरट की राशि अभिभाषक अप्रार्थीगण को दी जावें।

अतः प्रार्थना–पत्र (आदेश 09 नियम 07 जाप्ता दीवानी) को स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील को नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना–पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर